

तारीख  
हुकम

17-09-2025

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज  
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना  
उनवानी विष्णुसिंह बनाम भूमिधारी मु.सं. 22/2024

नम्बर व तारीख अह  
की तामील  
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की प्रकरण में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार पाटन से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम "बिशनसिंह पुत्र मानसिंह" दर्ज है जबकि वादी का "बिशनसिंह पुत्र मानसिंह" की जगह "विष्णुसिंह राजपूत पुत्र मानसिंह" सही होना बताया है। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा- आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड तथा तहसीलदार पाटन से प्राप्त रिपोर्ट से होती है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर घोषणा इस आशय की जारी की जाती है कि:-

### आदेश

तहसीलदार पाटन तन ग्राम राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी भूमि खाता संख्या 51 के खसरा नम्बर 535 कुल किता 1 कुल रकबा 2.21 हैक्टेयर में वादी का गलत दर्ज नाम "बिशनसिंह पुत्र मानसिंह" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "विष्णुसिंह राजपूत पुत्र मानसिंह" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
नीमकाथाना (सीकर)



**डिगरी व मुकदमे इत्तदाई**  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना  
व इजलास राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना  
1. विष्णु सिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत कोलोनी तहसील पाटन जिला सीकर।  
-वादी-

बनाम  
1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर।

-प्रतिवादी-

**मुकदमा नम्बर- 22/2024**  
**दावा बाबत घोषणा एवं दुरुस्ती रिकॉर्ड**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री मुरारी लाल यादव एडवोकेट वादी मिनजानिब मुद्दई मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि तहसीलदार पाटन तन ग्राम राजपुरा तहसील हल्का राजपुरा तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी भूमि खाता संख्या 51 के खसरा नम्बर 535 कुल किता 1 कुल रकबा 2.21 हैक्टेयर में वादी का गलत दर्ज नाम "बिशनसिंह पुत्र मानसिंह" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "विष्णुसिंह राजपूत पुत्र मानसिंह" दुरुस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों।

निज.....x.....मुबलिंग.....x.....बाबत.....x.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....x.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....x.....को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक (FT))  
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।